RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 सितम्बर, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 10, अंक : 4

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अभी तक का भण्डारण सत्र शीतगृहस्वामियों वा आलू भण्डारणकर्ताओं को सहायक नहीं हुआ है। आशा की जाती है की अक्टूबर माह में आलू के भावों में थोड़ा बहुत सुधार होगा। आश्चर्य की बात है कि इस समय आलू सारी सब्जियों में सबसे सस्ता चल रहा है परन्तु उसके बाद भी बाजारों में आलू की अपेक्षित बिक्री नहीं हो रही है। सितम्बर माह में प्राय यह देखा गया है कि आलू के रेटों में तेजी आनी शुरू हो जाती है परन्तु इस वर्ष आलू के भाव और गिर गए है। अब आशा की जाती है कि अक्टूबर माह में कुछ सुधार आए परन्तु अधिक सुधार की आशा नहीं है। इस तरह से अभी तक हुए घाटे की भरपाई होना प्रायः असम्भव सा लगता है। भण्डारण सत्र के शुरू में आलू के भाव अप्रत्याशित रूप से चढ़ गए थे। शीतगृहस्वामियों ने आलू उत्पादन का सही आंकलन नहीं किया। उनके ध्यान में यह बना रहा की आलू का उत्पादन कम हुआ है, यह जानकर उनकी धारणा आलू में तेजी की ओर बनी रही और इसी कारण बढ़ते हुए भावों में भी आलू का भण्डारण चलता रहा। इसी आधार पर शीतगृहस्वामियों ने आलू पर लोन भी बढ़ा–चढ़ा

कर देना शुरू कर दिया। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल में आलू के रेट बहुत कम रहे और भण्डारण भी बहुत कम रेट के आलू का किया गया। शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के आलू को पूरे समय तक परेशान करता रहा।

अभी भण्डारित आलू इस मात्रा में है जिसे यदि बराबर निकालते रहे तो ही 31.10.2013 तक निकल पाने की सम्भावना है। अन्यथा अधिक मात्रा में आलू शीतगृहों में रह जायेगा। हमारी जानकारी के अनुसार पहले सप्ताह नवम्बर में पंजाब व उत्तर प्रदेश की लोकल नई फसलों का आलू बाजार में आने लगेगा जो कि भण्डारित आलू के भाव को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। अतः इस समय हर भाव पर बराबर–बराबर बाँटकर 31 अक्टूबर, 2013 तक सम्पूर्ण भण्डारित आलू की निकासी कर देना ही उचित रहेगा।

विधुत सम्बन्धी :

Regulatory Surcharge के सम्बन्ध में :

जैसा कि आपको ज्ञात होगा की नए टैरिफ में 3.71 प्रतिशत Regulatory Surcharge लगा दिया गया है। इस सरचार्ज का कुछ उपभोक्ता उच्च न्यायलय से जिनमें Malhotra Ice Factory को इस Regulatory Surcharge का एक स्टे (Stay) मिला है जो इस प्रकार है कि उपभोक्ता द्वारा दिया गया Regulatory Surcharge पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. एक अलग Account में रखेगी और इस पर बैंक द्वारा Interest देय होगा। यदि भविष्य में निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होता है तो यह राशि उपभोक्ता को वापस कर दी जायेगी। इस निर्णय को जो अंग्रेजी में है हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

Court No. : 36

Case : WRIT - C No. - 47965 of 2013

Petitioner : Malhotra Ice Factory
Respondent : U.P. Electricity Regu. Commissioner And 3 Others
Counsel for Petitioner : Bidhan Chandra Rai
Counsel for Respondent : A.N. Singh, Chandan Agarwal

Hon'ble Vineet Saran. J.
Hon'ble Manoj Kumar Gupta. J.

The petitioner is aggrieved by the order dated 31-5-2013 and notification dated 10-6-2013 where by regulatory surcharge @ 3.71 % has been imposed for the losses incurred by UPPCL between the year 2000-01 to 2007-08. It is submitted by learned counsel for the petitioner that imposing of regulatory surcharge is in contravention of the national tariff policy as the same can only be imposed in exceptional cases like natural causes or force majeure conditions. In support of the submission that the regulatory surcharge cannot be imposed to set off losses suffered in routine course or in payment of arrears of wages of the employees, learned counsel for the petitioner has placed reliance on the decision of the Apex Court in the case of Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. vs. National Thermal Power Corporation Ltd. and others reported in (2009) 6 SCC 235. It is submitted that the consumers during the period 2000-2008, when the losses may have been incurred, may not even continue to be the same now or new consumers may have joined which may now be saddled with the liability to pay the surcharge for the losses incurred during the period they were not even the consumers. It is thus submitted that imposition of regulatory surcharge is wholly illegal and liable to be quashed.

In view of the above, we are of the opinion that the matter requires consideration.

Sri A.N. Singh has accepted notice for respondent no. 1 and Sri S.P. Gupta, Advocate General alongwith Sri Chandan Agarwal for respondent nos. 2, 3 and 4. They pray for and are granted a month's time to file counter affidavit. The petitioner shall have two weeks thereafter to file rejoinder affidavit.

List thereafter.

Considering the facts of the case and balancing the equities between the parties and also keeping in view that financial implications are there in the imposition of surcharge and to safeguard the interest of both the sides, as an interim measure, we direct that the surcharge, imposed by notification dated 10-6-2013 shall be paid by the petitioner

@ 3.71% but the respondent no. 3, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. shall ensure that the said amount of regulatory surcharge be kept in a separate interest bearing account of a nationalised bank. The deposit so made by the petitioner shall be subject to the further orders passed in the writ petition.

The preliminary objection raised by Sri S.P. Gupta, Advocate General with regard to alternative remedy available to the petitioner (which is strongly disputed by the learned counsel for the petitioner on the ground that the imposition of the regulatory surcharge is against the national tariff policy) shall be considered at the time of final hearing.

(Manoj Kumar Gupta, J.)

(Vineet Saran, J.)

Order Date : 18.9.2013

आलू इसमें छुपा गुणों का भण्डार :

आलू पूरी दुनिया में सबसे प्रचलित सब्जी है। बच्चे हों या बड़े, यह लगभग सभी को भाता है। सबके पसंदीदा आलू में पोषण भी बहुत है।

एक औसत आकार के आलू में महज 110 कैलोरीज होती हैं और इसमें फैट, सोडियम तथा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि इसे ज्यादातर लोग केवल स्वाद बढ़ाने का जरिया समझते हैं लेकिन इसमें गुणों का भण्डार छिपा है, जो कई बीमारियों से बचाता है।

क्या–क्या खूबियाँ :

पोटेशियम : आलू पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है। इसमें केले से भी ज्यादा पोटेशियम होता है। एक मध्यम आकार के छिलके सहित आलू से 18 प्रतिशत पोटेशियम मिल जाता है।

लाभ : पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार है।

विटामिन सी : आलू में 45 फीसदी विटामिन सी पाया जाता है। इतना विटामिन सी एक औसत आकार के टमाटर में भी नहीं होता।

लाभ : विटामिन सी घाव जल्द भरता है, मसूड़े स्वस्थ रखता है।

फाइबर : एक आलू से 8 प्रतिशत फाइबर प्राप्त होता है।

लाभ : शोध के अनुसार यह फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है।

आयरन : एक आलू से 8 प्रतिशत आयरन मिलता है।

लाभ : इससे खून बढ़ता है।

सेहत के लिए सही :

बढ़ता है वजन : जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आलू उत्तम है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं।

जल्दी होता है हज़म : कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता के कारण आलू काफी जल्दी हज़म हो जाता है। एक आलू में 80 प्रतिशत पानी होता है। बाकी का हिस्सा सॉलिड होता है।

दौड़ता है दिमाग : दिमाग को सुचारू रूप से काम करने के लिए सही मात्रा में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और विटामिन बी की जरूरत होती है। आलू से लगभग सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं।

जलन से मुक्ति : इनफ्लेमेशन कम करने में आलू बहुत काम आता है। इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स आंतों और पाँचन तंत्र की जलन को कम करते हैं। एक अमेरिकी हर साल 63–92 किलो आलू खा जाता है औसतन।

(राष्ट्रीय स्वरूप हिन्दी दैनिक दिनांक 23.9.2013 से साभार)

Post Harvest Infrastructure के सम्बन्ध में :

Confederation of Indian Industries ने Post Harvest Infrastructure के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया था जिसमें कोल्ड स्टोरेज सम्बन्धी काफी चर्चा की गई थी। शीतगृहों से भी उनके विचार माँगे गए। इस अवसर पर आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव श्री राजेश गोयल ने एक भाषण दिया था जिसमें शीतगृहों की ओर से सब्सीडी की माँग की थी। उनके इस भाषण का अंश हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

शीतगृह के आधुनिकीकरण के लिए जाए सब्सिडी :

आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन के सचिव राजेश गोयल ने शुक्रवार को होटल जे. पी. पैलेस में आयोजित सेमिनार को सम्बोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण सेमिनार मील का पत्थर साबित होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ और उत्तर प्रदेश सरकार इस आयोजन के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए इन उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि इन उद्योगों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उद्योग और कृषि इन दो खंभों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

कोल्ड चेन के विकास के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए विपणन की बुनियादी सुविधाओं, भण्डारण की बुनियादी सुविधाओं, वेयर हाउस और कोल्ड चेन के विकास का एक लम्बा रास्ता तय करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण, मुद्रास्फीति की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, देश में पर्याप्त भण्डारण की सुविधा में, कृषि उपज के उत्पादन में, एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, जिसका परिणाम है कि पिछले दशक की अपेक्षा हम भोजन को अधिक बचा रहे हैं।

कोल्ड चेन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमारे राज्य में मुख्य रूप से आलू भण्डारण के लिए 1400 शीत भण्डारण हैं। शीतगृह निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक सब्सिडी दे रहे हैं। इन कोल्ड स्टोरेज को अब आधुनिकीकरण और ऊर्जा दक्षता के लिए नया सब्सिडी पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज का नवीनीकरण आज की जरूरत है।

Mega Food Park and Cold Chain पर सरकार द्वारा आयोजित मीटिंग के सम्बन्ध में :

Food Processing Industries मंत्रालय द्वारा शीतगृहों के ऊपर एक विचार–विमर्श मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में 16.9.2013 को किया गया। इस मीटिंग में Mega Food Park and Cold Chain की स्कीमों पर चर्चा की गई थी व यह बताया गया था कि सरकार के दिमाग में इन दोनों क्षेत्रों के लिए क्या स्कीमे हैं। चूकि Food Park Scheme में अभी Processing Industries भी ली गई है और यह Industry अभी हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है। अतः इस स्कीम को हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

Cold Chain, Value Addition ok Preservation Infrastructure Scheme हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह स्कीम चूँकि सारे भारत के लिए उपयोगी होगी अतः इसे हम पूरा का पूरा अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस स्कीम की विशेष बात यह है कि इसमें सब्सीडी 50 प्रतिशत तक है व कुछ क्षेत्रों के लिए 75 प्रतिशत तक है। विस्तार से सम्पर्क करने के लिए आप निम्न पते पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिनांक 16.9.2013 को रूम नम्बर 120 पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली में हुई मीटिंग का संदर्भ देना पड़ सकता है। विस्तार से संपर्क करने के लिए आप निम्न पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।

Shri Pankaj Kumar
Director, Ministry of Food Processing Industry, Govt. of India
101-A Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi.
Telephone No. 011-26496647

Background Note - Stakeholders' Discussion on Scheme for Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure

The significance of cold chain facilities for reducing undesirable level of wastages in perishables is fully accepted now. It has been also realized that for increasing level of processing and value addition to agricultural produces, cold chain facilities need to be considered and absolute necessity. The cold chain facilities, by reducing level of wastages and ensuring value addition, ensure better price realization for farmers which would further help in meeting the national objectives of increasing food production and ensuing food security for all. This is also expected to address the issue of food inflation, key concern for policy makers in the country.

In view of the above, the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) launched the Scheme for Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure during the 11th Plan, which also emerged out of the realization that any effort to promote food processing sector has to necessarily address the challenges of existing logistics constraints, specially for perishables, in the Country. The Scheme, therefore, aims at enabling food processing units to create integrated and appropriate cold chain facilities along the value chain with an objective to streamline the supply chain leading to significant reduction in wastages of perishables.

The objective of the Scheme is to provide integrated and complete cold chain, value addition and preservation infrastructure facilities without any break, for perishables from the farm gate to the consumer and to link producers to food processors and market through well equipped and efficient supply chain. The Scheme also aims to establish value addition with infrastructural facilities like sorting, grading, packaging and processing for a variety of products such as fruit and vegetable, marine, dairy, poultry etc. The eligible components under the Scheme are as follows :

(i) Minimal Processing Centre at the farm level and this centre is to have facility for weighing, sorting, grading waxing, packing, pre-cooling, Controlled Atmosphere (CA) / Modified Atmosphere (MA) cold storage, normal storage and IQF.

(ii) Mobile pre-cooling vans and reefer trucks.

(iii) Distribution hubs with multi product and multi CA/MA chambers cold storage/ Variable Humidity Chambers, Packing facility, CIP Fog treatment, IQF and blast freezing.

(iv) Irradiation facility.

To avail financial assistance, any two of the components from (a), (b) or (c) above will have to be set-up by the units. Considering the functional nature of the facility, Irradiation facility if considered on standalone basis for the purpose of availing grant. Since the aim of the Scheme is to facilitate establishment of cold chain, value addition and preservation along the supply chain which would integrate and streamline forward

and backward linkages of food processors, stand alone facilities, except irradiation facility, are not considered for assistance under the Scheme.

The assistance under the Scheme includes financial assistance (grant-in-aid) of 50% the total cost of plant and machinery and technical civil works in General areas and 75% for NE region and difficult as (North East including Sikkim and J & K, Himachal Pradesh and Uttarakhand) subject to a maximum of Rs. 10 Crore.

The basic eligibility criteria for the applicants under the Scheme are :

- Net worth of the applicant / promoter is 1.5 times of the grant applied.
- Appraisal report from bank / FI,
- Final term loan sanction letter, if term loan envisaged,
- DPR with the proposal and
- Components as per the Scheme guidelines.

Observations and Issues

The Scheme, so far, has achieved considerable progress and witnessed strong response from stakeholders. However, during the implementation of Scheme, certain issues have been identified by the Ministry and are listed as follows :

(i) Term loan to the project :

It has been observed that some of the cold chain proposals submitted to the Ministry are without the term loan component. In such cases, the appraisal of the project done by the Bank / FI has not of much relevance because there if not financial stake of the bank / FI in the project. Hence, the Bank / FI may not monitor the progress of the project. Because of this, it it feld that making the term load mandatory for the cold chain project may be incorporated in the guidelines.

(ii) Implementation Schedule :

As per the existing guidelines, the normal timeline for implementation of the cold chain project is about 18 months. However, it has been observed that most of the

cold chain projects take more than 18 months to complete. In many projects, particularly in the hilly and difficult areas such as Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir the implementation takes more than 24 months period. Presently, there is not separate timeline for the hilly and difficult areas. The issue is whether the timeline of 18 months is adequate for implementation of the cold chain project? If not, then, what should be the optimum time for completion of the project? The second issue is whether there should be different timeline for the projects in hilly and difficult areas?

(iii) Cost norm for the various equipment / components of the cold chain projects :

It has been observed that there is huge variation in the cost of various equipment/ components of the cold chain proposals received from various applicants. Even for the same equipment and specifications, the cost of equipment varies. Such situation raises questions over the project cost stated by the applicants. The issue is whether a uniform cost norm based upon the capacity of the cold chain be devised to make it uniform across the projects.

(iv) Lack of Regional Balance in spread of cold chain projects :

It has been noted that in spite of several of Expression of Interests inviting application for setting up cold chain projects, the Ministry did not get any proposal from many of the North Eastern States Jharkhand, Lakshadweep, Andaman & Nicobar Island, Pondicherry, Goa etc. The issue is how the guidelines can incorporate this aspect so as to make regional balance in the development of the cold chain infrastructure in the Country supported by the Ministry.

विदेश यात्रा के सम्बन्ध में :

कुछ सदस्यों के अनुरोध पर विदेश यात्रा का प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिसमें Malaysia (Kuala Lumpur) जाने का विचार है। यह यात्रा 5 रात 6 दिन की होगी जिसका अनुमानित खर्च 50000–55000 रू प्रति व्यक्ति आयेगा। यदि खर्च कम आया तो आपको बकाया राशि वापस कर

दी जायेगी। यदि ज्यादा आने का अनुमान होगा तो पहले बता दिया जायेगा। इसे माह नवम्बर में करने का विचार है। यदि आप इस यात्रा में जाना चाहे तो हमें 5000 रू का एक बैंक ड्राफ्ट या चेक कोल्ड स्टोरेज एयोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम से भेज दें क्योंकि हमें बतौर बुकिंग राशि Travel Agent को देनी पड़ेगी।

इस यात्रा के लिए कम से कम 20 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। यह धनराशि एक दफा दी जाने के बाद वापस नहीं होगी। हमारे पास में यह चेक 25 अक्टूबर 2013 तक अवश्य आ जाने चाहिए। जो लोग जाने में बिलकुल ही निश्चित हो वह हमें यह धनराशि भेज सकते हैं जिससे की उनके वीजे की Application की प्रक्रिया शुरू की जा सके। वीजा मिलने में समय लगता है। यह अवश्य सुनिश्चित कर लें की आपके पासपोर्ट की समाप्ति की तिथि 30 जून, 2014 के बाद की ही है।

कोल्ड स्टोरेज एयोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग के सम्बन्ध में :

जैसे कि हम पहले भी लिख चुके हैं कि इस वर्ष वार्षिक मीटिंग दिसम्बर माह में हैदराबाद में आयोजित की जायेगी। अभी तक प्रयासों के अनुसार 23 दिसम्बर को होटल Taj Deccan में करने का कार्यक्रम है। मीटिंग एक दिन की होगी। बाहर से आने वाले सदस्यों को 22 दिसम्बर को पहुँचना होगा।

अभी हमने होटल में ठहरने के लिए दो रात की व्यवस्था की है। 22 दिसम्बर के डिनर के बाद 23 दिसम्बर, को डिनर, लंच व ब्रेकफास्ट व 24 दिसम्बर, के ब्रेकफास्ट होटल में ठहरने के खर्च के साथ करीब 5000 रू प्रति व्यक्ति देय होगा।

जैसे ही हम होटल को Advance जमा करा देंगे और बुकिंग को Confirm कर देंगे हम एक पत्र अपने सब सदस्यों को भेजेंगे जिसमें पूरे प्रोग्राम व व्यवस्था का विवरण होगा। इस समय Shri Gubba Nagender Rao, अध्यक्ष आन्ध्र प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन जो की इस मीटिंग के मुख्य कर्ताधर्ता हैं विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, इनका इस माह के अन्त तक आने का अनुमान है। उनके आते ही हम प्रोग्राम सम्बन्धी पत्र आप सबको भेज देंगे। अभी तक दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ से हैदराबाद तक की हवाई यात्रा सामान्य रूप से सस्ती ही कही जायेगी। सलाह यह है की हमारे सदस्य हवाई जहाज से यात्रा करें तो उन्हे ज्यादा आराम मिलेगा वैसे रेल यात्रा भी काफी सुविधाजनक है।

SUPER MAINI ®
ISO 9001 : 2008
SUPER

आइस प्लान्ट, कोल्ड स्टोरेज, कैमीकल प्लान्ट, मिल्क चिलिंग प्लान्ट, इंडस्ट्रीयल एयर कंडीशनीग प्लान्ट, फीशरी प्लान्ट, आदि के लिए उपयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-

सुपर मैनी एंटरप्राइजिस

दुकान नः 106, पहली मंजिल, सी० एस सी०,
डी० डी० ए० मार्किट, स्टेट बैंक नगर,
नजदीक मीरा बाग चौक, ऑउटर रिंग रोड,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
फोन : 91-11-25269432 टेलीफेक्स : 91-11-25251225
मोबाइल : 9810167231 वेबसाइट : www.supermaini.com
ई-मेल : info@supermaini.com

उत्तर प्रदेश एरिया डीलर्स-

- मैसर्स एमपी रेफ्रिजरेशन स्टोर (लखनऊ)
  फोन : 0522-2286660, मोबाइल : 98390 12465
- मैसर्स अल-आजाद रेफ्रिजरेशन (कानपूर)
  मोबाइल : 9336118558, 9415405572
- मैसर्स एस् एल् एण्ड सन्स रेफ्रिजरेशन (मुरादाबाद)
  फोन : 0591-2351305, मोबाइल : 9412493581, 9411037976
- मैसर्स सिंह रेफ्रिजरेशन (आगरा)
  मोबाइल : 9412261344, 9837774099

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

इस समय पूरे भारत में आलू की बेहद दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में आलू के भाव 500 से 600 रूपए कुन्तल के बीच चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा आलू 600 रूपए कुन्तल बिक रहा है। यद्यपि आलू की निकासी ठीक कही जायेगी परन्तु भण्डारणकर्ता को भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है और हर तरफ यह ही विचार जा रहा है कि आलू को तेजी से बिक्री करते रहने में ही घाटे को कम किया जा सकता है क्योकि, अभी भण्डारित माल 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के आसपास बचा है जिसको अक्टूबर माह में निकालना ही ठीक माना जा रहा है। नवम्बर के पहले सप्ताह से नई फसल का आगमन हो जाता है और नवम्बर माह में तो भण्डारित आलू के और रेट गिरना स्वाभाविक है।

इस समय भी जो दिन प्रतिदिन आलू के भाव नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उसका एक ही कारण है कि हर ओर घबराहट का वातावरण बना हुआ है। करीब–करीब यह स्थिति हर प्रदेश की पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि सबसे ऊँची दरों पर आलू का भण्डारण हुआ है इसलिए भण्डारणकर्ताओं को हानि भी सबसे अधिक हो रही है।

पश्चिमी बंगाल : पश्चिमी बंगाल में भी बात करने से ज्ञात हुआ कि वहाँ पर सस्ते रेट के भण्डारण होने के बाद भी भण्डारणकर्ताओं को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। उनके कुछ शीतगृह बैकों का लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बैकों ने उन्हे एन.पी.ए. NPA तक घोषित कर दिया है। पश्चिमी बंगाल में शीतगृहों की दुर्दशा का कारण यह भी है कि वहाँ पर भण्डारण प्रभार बहुत कम है। यहाँ भण्डारण प्रभार सरकार निर्धारित करती है। गत तीन वर्षों से भण्डारण प्रभार न बढ़ने के बाद इस वर्ष 120 रूपए कुन्तल का भण्डारण प्रभार घोषित किया गया। हमें अपुष्ट समाचारों से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश के भी काफी शीतगृह बैकों से लिए हुए लोन को वापस करने में अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं और उन्हें NPA घोषित किया जा रहा है। यह दुर्दशा उन शीतगृहों की ज्यादा हो रही है जिन्होंने आलू पर लोन देने के लिए बैंक लोन का बहुत अधिक सहारा लिया है।

हम बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे अनुज श्री आनन्द स्वरूप जो कि स्वरूप कोल्ड स्टोरेज के पार्टनर भी है व India Pesticides Limited व स्वरूप केमिकल प्रा.लि. का संचालन भी करते है को All India Conference Of Intellectuals ने U.P. Ratan Award से सम्मानित किया है। यह एक बहुत ही सम्मानजनक Award है। यह Award उद्योग के सफल संचालन के क्षेत्र में दिया गया। इस Award के वितरण का आयोजन दिनांक 22.9.2013 लखनऊ में किया गया था।

श्री आंनद स्वरूप को Award देते हुए बायें से दायें :–

1. H.E. LT. Gen. K.M Seth, Former Governor, Chhattishgarh
2. Mr. Justice Rajesh Tandon, Member, Human Rights Commission U.K.
3. Mr. Justice A.K. Shrivastava, Hon'ble Former Judge Delhi High Court.

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित